न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19 / 2019 (राजसमन्द आर्डर)

1. घीसूसिंह पिता मांगूसिंह कडेचा (राजपूत), निवासी हमेरवाल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोहनसिंह पिता रूपसिंह खाखड़, निवासी केलवाड़ा (छावली की भागल), तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मनरूपसिंह पिता पृथ्वीसिंह खाखड़ (राजपूत), निवासी काकरवा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मोहनलाल पिता लक्ष्मीलाल ब्राहमण, निवासी केलवाड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
03–06–2019 प्रकरण संख्या 22/2019

———::———

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1

———::———

निर्णय **दिनांक 27–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव केलवाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 3740 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 14 / 19 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 3 / 19 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1 / 19 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1 / 19 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण ने आपसी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested

सहमति से विभाजन कर मौके पर काबिज हैं तथा प्रार्थी ने कुछ भाग पर मकान बना रखा है। लेकिन भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जोर जबरदस्ती तोड–फोड कर निर्माण करवाना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की होने से सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 03–06–2019 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–12–2019 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के सन्दर्भ में वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलान्टगण ग्रामीण काश्तकार होने से कृषि कार्य में व्यस्त थे, जिससे वे अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। हाल ही में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टगण को बेदखल करने का प्रयास किया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का जवाब पढ़े [illegible] ने एकतरफा आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट अंकित किया है कि ''वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसके कुछ हिस्से मकान बना होना व कुछ भूमि खाली पडी होना प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने जवाब में उक्त वादग्रस्त भूमि में दुकाने व मकान एवं मकान में जाने का दरवाजा होना व कुछ भूमि खाली होना अंकित किया है।'' उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य वाद की बहुलता नहीं बढें, इसलिए वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की तोड–फोड नहीं करने, निर्माण नहीं करने एवं किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03–06–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:20 IST
Reason: SelfAttested